न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 128/2017/अपील

चन्द्राराम पुत्र गुल्लाराम जाति बलाई निवासी खोरी डूंगर तहसील धोद जिला सीकर
अपीलान्ट

बनाम

1. डेडाराम पुत्र श्री गुल्लाराम जाति बलाई निवासी खोरी डूंगर तहसील धोद जिला सीकर
2. तहसीलदार धोद जिला सीकर
3. उपपंजियक धोद जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 35 दिनांकित 12.12.1991 तहसीलदार सीकर वर्तमान तहसीलदार धोद जिला सीकर

वकील अपीलांट श्री कृष्णसिंह शेखावत
वकील रेस्पोडेंट श्री मोहनलाल चिरानियां

निर्णय दिनांकः— 31.01.2018

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 0.38 हैक्टर वाकै ग्राम खोरी डूंगर पटवार हल्का मण्डावरा इस्पेक्टर लेण्ड रिकार्ड हल्का दूजोद तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त कृषि आराजियात को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा दिनांक 11.10.1991 को इसके पूर्व खातेदार मोहन पुत्र पन्नाराम गुर्जर निवासी खोरी तहसील सीकर हाल तहसील धोद जिला सीकर से अपीलान्ट चन्द्राराम ने सम्पूर्ण भूमि का 3/4 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 डेडाराम ने 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र दिनांकित 11.10.1991 को उपपंजियन सीकर के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 186 के पृष्ठ संख्या 320 के कम संख्या 1935 के अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 174 के पृष्ठ संख्या 248 से 255 के कम संख्या 35 पर चस्पा किया जाकर विकेता से उक्त सम्पूर्ण भूमि कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। तथा विकेता ने दिनांक 11.10.1991 को अपना कब्जा काश्त कतई शुन्य कर लिया था। उक्त कृषि आराजियात पर विकय पत्र की दिनांक से लेकर आज तक बिना किसी रूकावट व बाधा के निर्बाध निरन्तर एवं साधिकार रूप से अपीलान्ट का 3/4 हिस्से पर तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 डेडराज का 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तत्कालिन पटवारी हल्का व तहसीलदार से साजिस एवं मिलीभगत कर अपीलान्ट के अधिकारों पर कुठारघात करते हुए नुमाईशी विकय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 12.12.1991 में कांट छांट कर कतई गलत रूप से कानून के प्रावधानों के विपरित रेस्पोडेन्ट के पक्ष में तस्दीक कर दिया। उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने के पूर्व पटवार हल्का मण्डावरा तथा तहसीलदार महोदय सीकर द्वारा विकय पत्र दिनांकित 11.10.1991 के सम्बंध में एवं कब्जे

भरा गया नामान्तकरण संख्या 35 दिनांकित 12.12.1991 को निरस्त किया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 10.11.1991 के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना गया। विवादित नामान्तकरण विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 10.10.1991 के अनुसार विक्रयकर्ता मोहन पुत्र पन्नाराम जाति गुर्जर निवासी खोरी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 0.38 है0 सम्पूर्ण का विक्रय चन्द्राराम पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 3/4 एवं डेडाराम पुत्र गुल्ला हिस्सा 1/4 विक्रय किया गया। जब कि नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 12.12.1991 के अनुसार चन्द्राराम डेडाराम पुत्रगण गुल्लाराम का बराबर--बराबर हिस्सा दर्ज दिया गया है। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण विक्रय पत्र में दर्शाये गये हिस्सा अुनसार तस्दीक नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 12.12.1991 निरस्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार धोद को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि विक्रय पत्र के संदर्भ में उभयपक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर एवं अन्य किसी न्यायालय का कोई आदेश हो तो उसका संदर्भ भी लिया जाकर गुणावगुण पर नामान्तकरण के सम्बंध में उचित निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31/1/18

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर